रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2001/आषाढ़ 1, 1923
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2001/ASADHA 1, 1923

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मई, 2001

का.आ. 583 (अ).— पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 (1986 का 29) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा एक प्राधिकरण का गठन करती है जिसे 'जल गुणवत्ता मूल्यांकन प्राधिकरण' के नाम से जाना जाएगा जिसमें इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1.	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
3.	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
4.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य
5.	सलाहकार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहयोग मंत्रालय	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, शहरी मामले एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
10.	निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
11.	निदेशक, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियान्त्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	सदस्य
12.	आयुक्त (जल प्रबंधन) जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य सचिव

2. प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां तथा कार्य होंगे :-

I अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2 के खण्ड (ix),(xi),(xii) और (xiii) के उल्लिखित मामलों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने तथा उपाय करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्तियों का प्रयोग ।

II निम्नलिखित के संबंध में एजेंसियों (सरकारी / स्थानीय निकायों / गैर - सरकारी) को दिशानिर्देश देना :-

(क) जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग संबंधी विधियों का मानकीकरण और इसके पश्चात इसके उपयोग हेतु आंकड़ा उत्पत्ति की गुणवत्ता सनिश्चित करना ·

(ख) सर्वोत्तम-प्रयोग पर खरा उतरने के लिए नदी/ जल निकायों की जल गुणवत्ता की बहाली के उद्देश्य से अपशिष्ट जल उचित शोधन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय करना ।

(ग) जल गुणवत्ता प्रबंधन क्षेत्र मे अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां चलाना ;

(घ) कृषि के विकास हेतु सिचाई के लिए शोधित मलजल / ट्रेड बहिस्रावो के पुनःचक्रण/पुन·प्रयोग को बढावा देना ।

(ड) जल निकायों की गुणवत्ता मे सुधार के लिए कार्य योजनाएं·तैयार करना तथा इस संबंध में शुरू की गई स्कीमों / शुरू की जाने वाली स्कीमों के क्रियान्वयन को मानीटर करना तथा पुनस्वलोकन / मूल्यांकन करना ।

(च) जल गुणवत्ता संबंधी संकट के उपशमन के उद्देश्य से जल निकाले जाने तथा शोधित मलजल/ट्रेड बहिस्राव को धरती पर, नदियों तथा अन्य जल निकायों में बहाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्कीमें तैयार करना ।

(छ) नदी प्रणालियों में जलीय जीवन के निर्वाह हेतु न्यूनतम बहाव बनाए रखना ।

(ज) वर्षा जल के एकत्रीकरण को बढावा देना

(झ) बहिस्राव शोधक की लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण नदी फैलावों पर स्व-स्वांगीकरण क्षमताओं का उपयोग करना ।

(ञ) अपशिष्ट भार आबंटन सुविधा के लिए प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचना उपलब्ध करना ।

(ट) राष्ट्रीय जल संसाधनों (भूतल जल और भू-जल दोनों) की गुणता स्थिति की समीक्षा करना और जल गुणता के सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रदूषित स्थलों (हॉट स्पॉट्स) का पता लगाना ।

(ठ) जल संसाधनों के प्रबंधन से संबद्ध मामलों के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित अथवा गठित की जाने वाले प्राधिकरणों / समितियों से अन्योन्यक्रिया ।

(ड) इस प्रकार की समितियों को सौंपे गए कार्य को समन्वित करने के लिए राज्य-स्तरीय जल गुणता समीक्षा समितियों (डब्ल्यू क्यू आर सी) का गठन/ स्थापना ।

(ढ) निजी क्षेत्रों से संबंधित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा उन्हें (समितियों को) भेजे जाने वाले भूतल और भू-जल गुणता से सम्बद्ध किसी भी पर्यावरणीय मुद्दे पर कार्रवाई करना ताकि निर्दिष्ट उत्तम उपयोगों की पुष्टि के लिए गुणता को बनाए रखा जा सके ।

3. प्राधिकरण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग किया जाएगा ।

4. प्राधिकरण को सौंपे गए कार्यों को आसानी से करने के लिए उसके (प्राधिकरण) द्वारा क्षेत्र विशेषज्ञ (डोमेन एक्सपर्ट) की नियुक्ति की जा सकती है ।

5. प्राधिकरण को सौंपें गए कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक प्रकोष्ट का गठन किया जाएगा ।

6. प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यो से सम्बधित रिपोर्ट तीन महीने में कम से कम एक बार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ।

[फा. सं. जे-15011/8/2000-एन आर सी डी]
ए. एम. गोखले, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 29th May, 2001

S.O. 583 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes an authority to be known as "Water Quality Assessment Authority" consisting of the following members for a period of three years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. Secretary, Ministry of Environment and Forests	- Chairperson
2. Additional Secretary and Project Director, National River Conservation Directorate, Ministry of Environment and forests	- Member
3. Chairman, Central Water Commission	- Member
4. Additional Secretary, Ministry of Water Resources	- Member
5. Adviser, National River Conservation Directorate, Ministry of Environment and Forests	- Member
6. Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperation	- Member
7. Joint Secretary, Ministry of Urban Affairs and Poverty Alleviation	- Member
8. Chairman, Central Ground Water Authority	- Member
9. Chairman, Central Pollution Control Board	- Member
10. Director, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi	- Member
11. Director, National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur	- Member
12. Commissioner (Water Management), Ministry of Water Resources	- Member Secretary

2. The Authority shall exercise the following powers and functions:-

I. to exercise powers under section 5 of the said Act for issuing directions and for taking measures with respect to matters referred to in clauses (ix), (xi), (xii) and (xiii) of sub-section 2 of section 3 of the Act;

II. to direct the agencies (government/local bodies/non-governmental) for the following :

(a) to standardize method(s) for water quality monitoring and to ensure quality of data generation for utilization thereof;

(b) to take measures so as to ensure proper treatment of wastewater with a view to restoring the water quality of the river/water bodies to meet the designated-best-uses;

(c) to take up research and development activities in the area of water quality management;

(d) to promote recycling/re-use of treated sewage/trade effluent for irrigation in development of agriculture;

(e) to draw action plans for quality improvement in water bodies, and monitor and review/assess implementation of the schemes launched/to be launched to that effect;

(f) to draw scheme(s) for imposition of restriction in water abstraction and discharge of treated sewage/trade effluent on land, rivers and other water bodies with a view to mitigating crisis of water quality;

(g) to maintain minimum discharge for sustenance of aquatic life forms in riverine system;

(h) to promote rain water harvesting;

(i) to utilize self-assimilation capacities at the critical river stretches to minimize cost of effluent treatment;

(j) to provide information to pollution control authorities to facilitate allocation of waste load;

(k) to review the status of quality of national water resources (both surface water & groundwater) and identify "Hot Spots" for taking necessary actions for improvement in water quality;

(l) to interact with the authorities/committees constituted or to be constituted under the provisions of the said Act for matters relating to management of water resources;

(m) to constitute/set-up State-level Water Quality Review Committees (WQRC) to coordinate the work to be assigned to such committees; and

(n) to deal with any environmental issue concerning surface and groundwater quality which may be referred to it by the Central Government or the State Government relating to the respective areas, for maintenance and/or restoration of quality to sustain designated-best-uses.

3. The Authority shall exercise the powers under section 19 of the said Act.

4. The Authority may appoint domain experts for facilitating the work assigned to it.

5. The Ministry of Water Resources shall create a cell to assist the Authority to carry out the assigned functions.

6. The Authority shall furnish report about its activity at least once in three months to the Ministry of Environment and Forests.

[F. No. J-15011/8/2000-NRCD]
A. M. GOKHALE, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.